e-Samadhan | पश्चिम रेलवे Western Railway | umid I.P.-digitalir.in/umid

मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय,
रतलाम

का.आ.सं.- ईडी/ 57 /2021
संख्या: ईडी/NG/I-2015/CFP/7 भाग-1

दिनांक : 09.03.2021

:: कार्यालय आदेश ::

विषय : पदोन्नति, पदावनति एवं स्थानांतरण अराजपत्रित कर्मचारी- सामान्य प्रशासन विभाग (MOCG/BWSM) समूह, रतलाम मण्डल ।

संदर्भ :
1.इस कार्यालय का पत्र संख्या: ईडी/1025/17/1 भाग-3 दिनांक 11.01.2018 एवं 09.05.2019।
2.महाप्रबंधक (स्था.)-चर्चगेट का पत्र संख्या: E(R&T)/890/0/नीति भाग-10 दिनांक 03.03.1997 (P.S. No.-49/97)।
3.रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या: E(NG)I/96/CFP/19 दिनांक 07.04.2000 (RBE No.-66/2000)।
4.रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या: E(NG)I-2015/CFP/7 दिनांक 16.01.2017 (RBE No.-02/2017)।
5.इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 25.02.2020, 21.08.2020, 04.02.2021 एवं 19.02.2021।
6.कर्मचारियों के आवेदन दिनांक 29.01.2020, 17.02.2020, 09.02.2021 एवं 10.02.2021।
7.महाप्रबंधक (स्था.)-चर्चगेट का पत्र संख्या: स्था.(प्र.का.) 839/14/RTM Vol.V दिनांक 22.12.2020।

---xxxx---

उपरोक्त विषय में लेख है कि इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक 09.05.2019 द्वारा श्री बच्चुभाई मेड़ा व श्री मुकेश कुमार चौहान, टीबॉय (लेवल-1) अधीन कैन्टीन मेनेजर-रतलाम को अनुत्तीर्णो में सर्वोत्तम नीति के तहत 06 माह की कार्य निष्पादन रिपोर्ट के आधार पर नामिका पर आने के पश्चात कनिष्ठ लिपिक वे.मा.रु. 5200-20200+1900 ग्रेडपे (लेवल-2) के पद पर प्रोविजनल आधार पर पदोन्नति प्रदान की गई थी जिसमें यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि "कर्मचारियों को 02 वर्ष के भीतर निर्धारित 03 अवसरों में टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगी एवं टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की दशा में इनको पदावनत किये जाने का प्रावधान है।"

उक्त दोनों कर्मचारियों द्वारा तीन अवसरों पर टंकण परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाने के कारण एवं मुख्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक 22.12.2020 द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना में उक्त दोनों कर्मचारियों को इनके मूल पद टीबॉय (लेवल-1) पर पदावनत किया जाना है।

वर्तमान में रतलाम मंडल पर टीबॉय (लेवल-1) के पद पर रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं हैं, अत: श्री बच्चुभाई मेड़ा कनिष्ठ लिपिक (लेवल-2) अधीन वरि.से.इंजी.(ओएचई/टीआरडी)-बामनिया एवं श्री मुकेश कुमार चौहान कनिष्ठ लिपिक (लेवल-2) अधीन वरि.से.इंजी.(लोको)-रतलाम को उनके वर्तमान पद से पदावनत कर सामान्य सहायक (लेवल-1) के पद पर जेनीटर-मंडल कार्यालय, रतलाम के अधीन पदस्थ किया जाता है। टीबॉय (लेवल-1) के पद पर रिक्तियाँ उपलब्ध होने पर इन्हें इनके मूल पद टीबॉय (लेवल-1) के पद पर समाहित किया जायेगा।

पदावनति पर श्री बच्चुभाई मेड़ा व श्री मुकेश कुमार चौहान का वेतन 22800/- कार्यालय आदेश की दिनांक से देय रहेगा तथा इनकी अगली वा.वे.वृ. दिनांक 01.07.2021 रहेगी। पदावनति पर इनकी वरियता प्रचलित नियमानुसार निर्धारित की जावे।

टिप्पणी:

1. कर्मचारी श्री बच्चुभाई मेड़ा को स्थानान्तरण पर मिलने वाली सुविधाऐं नियमानुसार देय हैं।
2. कर्मचारी के पास वर्तमान स्टेशन पर यदि रेलवे आवास हो तो नियमानुसार खाली करवायें एवं इसे ही अंतिम सूचना माना जावे।

परिवर्तन की तिथि से सर्वसंबंधितों को अवगत करावें।
इसे सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

(दीपक परमार)
मंडल कार्मिक अधिकारी
कृते: वरि.मं.का.अधि./रतलाम

Signed by DEEPAK PARMAR
Date: 09-03-2021 12:37:47
Reason: Approved

प्रतिलिपि:-
वरि.मं.वि.प्रबं., वरि.मं.का.अधि., वरि.मं.यॉं.इंजी.(केएवंवे), वरि.मं.यॉं.इंजी.(डीजल), वरि.मं.बि.इंजी.(क.वि.), मं.यॉं.इंजी., मं.बि.इंजी.(क.वि.), सहा.मं.यॉं.इंजी., सहा.मं.बि.इंजी.(क.वि.), सहा.का.अधि.(I/II/III)- रतलाम
वरि.से.इंजी.(ओएचई)-बामनिया, वरि.से.इंजी.(लोको)-रतलाम : कर्मचारियों को मंडल कार्यालय रतलाम हेतु कार्यमुक्त कर भेजें।
मुकाधी- ईडी, यॉंत्रिक, लोको, टीआरडी वेतन, डीएआर, लि.से.पु., पास, आवास, अवकाश, प्राईम सेल, यूनियन सेल, मुकानि मंडल मंत्री- वेरेमसं, वेरेएयू / सचिव- एससीएसटी एसौ., ओबीसी एसौ.- रतलाम मंडल।
उक्त आदेश e-Samadhan एप पर उपल्बध है।